

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226107
SG-DL-E-25032021-226107

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/ चैत्र 3, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 374
No. 98]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/ CHAITRA 3, 1943	[N. C. T. D. No. 374

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सं. फा. 5(54)/पॉलिसी/वैट/2013/पार्ट फा./491-502.-चूंकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.फा. डी-II/451/12(1)/2020 दिनांक: 14.10.2020 के द्वारा पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप नई दिल्ली में चाड गणराज्य के दूतावास के राजनयिकों के द्वारा सभी कर योग्य वस्तुओं की अधिकारिक एवं निजी प्रयोग हेतु खरीद के पक्ष में, वैट रिफंड की छूट/सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है।

2. और चूंकि मैं, अंकुर गर्ग, आयुक्त, मूल्य सवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जन साधारण के हित में समीचीन है।

3. अब इसलिए, दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं अर्थात्:-

संशोधन

4. दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या 1 के भाग-क दूतावासों की सूची में क्रम संख्या ए-149, के उपरांत नई उप-प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

“

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	गणराज्य का नाम
ए-150	07297226759	चाड गणराज्य

”

5. मूल्य सवर्धित कर की वापसी इस शर्त के अधीन होगी कि प्रत्येक चालान का न्यूनतम चालान मूल्य रुपये 5000/- होगा।

यह अधि सूचना 14 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

अंकुर गर्ग, आयुक्त (मूल्य सवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th March, 2021

No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/491-502.—Whereas, the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principle of reciprocity has requested the government of National Capital Territory of Delhi to grant facility of VAT exemption/refund to the Embassy of the Republic of Chad in New Delhi, on the payment of all the taxable goods for official use and for personal use of its diplomats vide their letter NO.-D-II/451/12(1)/2020 Dated-14th October 2020.

2. And, whereas, I, Ankur Garg, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

4. In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No.1, in Part-A- List of Embassies, after SI. No. A-149, the following shall be inserted, namely:-

“

Sl. No.	Registration No.	Name of the Embassy
A-150	07297226759	Republic of Chad

”

5. The refund of Value Added Tax will be subject to the condition that the minimum invoice value for each invoice would be Rs. 5000/-.

This notification shall come into force with effect from 14-10-2020.

ANKUR GARG, Commissioner (Value Added Tax)